न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2019 (GCMS 2019/00128)	08.07.2019	17.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

जीवन लाल पटवा पुत्र नन्दलाल पटवा (विकेता/मालिक) मो.न. 7300444765 मैसर्स कमलकान्त पटवा, केन्टीन रोड़वेज बस स्टेण्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी C/o प्रवीण लाल जी पटवा का मकान गांधीनगर ,हाउसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.01.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.01.2019 को समय 01.20 पीएम पर मै. कमलकान्त पटवा केन्टीन रोडवेज बस स्टेण्ड,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ पर पहुँचा। वहां पर जीवन लाल पटवा पुत्र नन्दलाल पटवा (विकेता/मालिक) निवासी **C/o** प्रवीण लाल जी पटवा का मकान गांधीनगर हाउसिंग बोर्ड चित्तौड़गढ़ (राज0) उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) व चाय, कॉफी, नाश्ता अन्य मिठाई आदि आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता जीवन लाल पटवा पुत्र नन्दलाल पटवा को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर मौके पर एक स्टील की परात में लगभग 7 किलो नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) विक्रय हेतु रखा पाया। व्यापारी ने बताया कि उक्त नमकीन सोयाबीन तेल आदि से निर्मित है व आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु रखा गया है एवं विक्रय किया जा रहा है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त स्टील की परात में रखे नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) से दो किलोग्राम नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सुखे व खाली स्टील के भगोने में खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 280/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) को हिला मिलाकर एक रूप कर चार बराबर–बराबर भागो में बाँटकर चार प्लास्टिक के जारों में अलग–अलग भरकर प्रत्येक जार में ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1004** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब मे जॉच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित को, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के सथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/859 दिनांक 06.03.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सब स्टेन्डर्ड होना पाया गया था जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स कमलकान्त पटवा को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जो कि मय मूल पोस्टल रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 859 दिनांक 06.03.2019 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019 /2029 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अतं में प्रार्थना की गई कि आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है कि उक्त अभियुक्त को दण्डित करावें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 26.09.2019 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया। दिनांक 17.02.2021 को अप्रार्थी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णय हेतु रखा गया एवं पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती है। उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित है इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 31.01.2019 को बनाई गई है उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से रिपोर्ट संख्या **LS 39/Act/2019/51** दिनांक 19.02.2019 प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को प्रेषित की गई है। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुया लेकिन परिवाद का किसी भी प्रकार से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। एवं दिनांक 17.02.2021 को विपक्षी के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाने से परिवाद का खंडन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट है, एवं प्रकरण की भी किसी प्रकार से अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हमने खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Report No LS 39/Act/2019/51
Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Namkeen (Prepare in Soyabean Oil) bearing code no. and scrial no. AM-1004 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M:&H.O. of District Chittorgarh on 01.02.2019 for analysis.

The condition of scals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum ,in sealed envelope.

I found the sample to be proprietary food falling under Regulation No. 2.12.1 Namkeen of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 07.02.2019 to 19-02-2019 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The Sample containcd in a wide mouth pet jar.
(ii) Physical appearance:- Yellowish and solid mass in appearance.
(iii) Label :-- Loose Sample of Namkeen in Prepare in Soyabean Oil.
Opinion:. The sample of Namkeen (Prepare in Soyabean Oil) bearing code no, and serial no. AM- 1004 of Designated oflicer (Food Safety) Cum C.M.&H.O. of District Chittorgarh is substandard food not prepared in soyabean oil. The sample is substandard food under section 3(1)(zx)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-1004** उक्त खाद्य खाद्य पदार्थ नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) एफ.एस.एस. ए. की धारा **3(1)(zx)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:55 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को सब स्टेन्डर्ड नमकीन (सोयाबिन तेल से निर्मित) का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी जीवन लाल पटवा पुत्र नन्दलाल पटवा (विकेता/मालिक) मैसर्स कमलकान्त पटवा, केन्टीन रोड़वेज बस स्टेण्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी **C/o** प्रवीण लाल जी पटवा का मकान गांधीनगर, हाउसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़ (राज0) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत उक्त दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम की धारा 49 एवं 51 में उक्त व्यवस्था की गई है, ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त श्री जीवन लाल पटवा पुत्र नन्दलाल पटवा (विकेता/मालिक) मैसर्स कमलकान्त पटवा, केन्टीन रोड़वेज बस स्टेण्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी **C/o** प्रवीण लाल जी पटवा का मकान गांधीनगर ,हाउसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़ (राज0) को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री जीवन लाल पटवा पुत्र नन्दलाल पटवा (विकेता/मालिक) मैसर्स कमलकान्त पटवा, केन्टीन रोड़वेज बस स्टेण्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी **C/o** प्रवीण लाल जी पटवा का मकान गांधीनगर, हाउसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़ (राज0) को 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:55 IST
Reason: SelfAttested